संख्या-412/2017/246/22-2-2017-17(75)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अभय सिंह पुत्र श्री क्षत्रपाल सिंह, निवासी-जनपद-बांदा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अभय सिंह पुत्र श्री क्षत्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम पपरेंदा, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा का रहने वाला है। बन्दी का मलखान सिंह व विजय सिंह से पुराना विवाद चल रहा था दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमें चल रहे थे। विवाद बढ़ जाने के कारण दिनांक 02.04.1986 को अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तों ने लाइसेंसी बन्दूक व देशी कट्टा से विजय सिंह व मलखान सिंह पर हमला कर दिया जिसमें विजय सिंह की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-177/1986 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट0), बांदा के आदेश दिनांक 19.12.1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.1999 द्वारा बन्दी की अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.11.2016 तक 16 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 04 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश, दोनों पक्षों की तरफ से चल रहे मुकदमें को लेकर विवाद बढ़ने पर दिनांक 02.04.1986 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, देशी कट्टा से विजय सिंह व मलखान सिंह पर हमला कर विजय सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अभय सिंह पुत्र श्री क्षत्रपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अभय सिंह (बन्दी संख्या-14503) पुत्र श्री क्षत्रपाल सिंह निवासी जनपद-बांदा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-412/2017/246(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-412/2017/246/22-2-2017-17(75)/2017

दिनांक 09 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अभय सिंह पुत्र श्री क्षत्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम पपरेंदा, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा का रहने वाला है। बन्दी का मलखान सिंह व विजय सिंह से पुराना विवाद चल रहा था दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमें चल रहे थे। विवाद बढ़ जाने के कारण दिनांक 02.04.1986 को अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तों ने लाइसेंसी बन्दूक व देशी कट्टा से विजय सिंह व मलखान सिंह पर हमला कर दिया जिसमें विजय सिंह की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-177/1986 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट0), बांदा के आदेश दिनांक 19.12.1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.1999 द्वारा बन्दी की अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.11.2016 तक 16 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 04 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश, दोनों पक्षों की तरफ से चल रहे मुकदमें को लेकर विवाद बढ़ने पर दिनांक 02.04.1986 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, देशी कट्टा से विजय सिंह व मलखान सिंह पर हमला कर विजय सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अभय सिंह पुत्र श्री क्षत्रपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 04 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in